(2)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | गोविन्दकरण बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार लूणी / उपतहसीलदार झंवर ) सू.अ.अ. अपील संख्या 168 / 2018 | |
| 09.01.19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण निवासी 79, हनुवंत बी सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.10.18 में उसके द्वारा (1) खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 गांव झंवर के खसरा नम्बर 1774, 1775, 1776 डोली बनाम मंदिर ठाकुरजी व खसरा नम्बर 1726, 1727 से 1729 एवं 166 व 1389 डोली बनाम ठाकुर महाराज थे, वर्तमान में उपरोक्त 9 खसरान किस नाम से है एवं वर्तमान रेवेन्यू रेकर्ड व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र उप तहसीलदार झंवर को प्रेषित कर दिया गया, उप तहसीलदार झंवर द्वारा जरिये पत्रांक 366 दिनांक 2.11.18 भिजवाई गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार लूणी / उप तहसीलदार झंवर ) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उप तहसीलदार झंवर) से जरिये पत्रांक 04 दिनांक 07.01.2019 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि सूचना वर्तमान रिकॉर्ड से संबंधित है तथा वर्तमान रिकॉर्ड की प्रतियां पटवारी हलका से प्राप्त की जावे। अपनी रिपोर्ट में मिसल बन्दोबस्त की नकल जिला कार्यालय से प्राप्त किया जाना बताया गया।<br><br>अपीलार्थी ने रिपोर्ट के जबाब में बतलाया कि बिन्दु संख्या 1 के संबंध में हलका पटवारी से प्राप्त करना कहते है, जबकि हलका पटवारी उनके अधीनस्थ होने के कारण सूचना उनसे मंगवाकर कर उपलब्ध करा सकते है, इसी प्रकार बिन्दु संख्या–2 से संबंधित सूचना मिसल बन्दोबस्त की नकल जिला कार्यालय से प्राप्त करने को कहा, जबकि इनका कर्तव्य है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वहां स्थानान्तरित करना चाहिए। अन्त में कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट गलत पेश की गई तथा जानबूझ कर सूचना प्रदान नहीं करना चाहते है।<br><br>सहायक लोक सूचना अधिकारी (उप तहसीलदार झंवर ) की रिपोर्ट एवं अपील में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उप तहसीलदार झंवर द्वारा सूचना विधिक प्रावधानों के तहत देने का प्रयास नहीं किया गया है तथा ऐसा न करना विधिक प्रावधानों को<br><br>लगातार... | |

| | | |
|---|---|---|
| | आत्मसात् न करने का फल है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा उप तहसीलदार झंवर को निर्देशित किया जाता है कि जो सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध है तथा जो सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित है वहां से मंगवाकर प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। | |